न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/173

पिंकी सुमन पत्नी बृजमोहन पुत्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी देहित जिला बून्दी ।

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज स्व0 श्री रामनारायण जाति माली निवासी झालावाड हाल ग्राम मोहनपुरा सरकारी डिसपेन्सरी के पास तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. सुशीला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री चौथमल जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कमला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री भोलाशंकर जाति माली निवासी 1 प 12 टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा ।
4. मुन्नी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी आनन्द लाल निवासी के0 पाटन जिला बून्दी जरिये मुख्तारआम हरिमोहन आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी थेगडा कोटा हाल के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. हरि मोहन आत्मज रामनारायण माली निवासी थेगडा हाल गिरधरपुरा सती माता का मंदिर ।
6. हेमराज आत्मज रामनाथ माली ।
7. रूपचन्द आत्मज रामनाथ माली ।
8. नरेश चन्द आत्मज रामनाथ माली ।
9. चन्दा बाई पुत्री रामनाथ माली ।
10. कान्ती बाई पुत्री रामनाथ माली
11. शान्ति बाई पुत्री रामनाथ माली ।
12. प्रेमबाई पुत्री रामनाथ माली ।
13. पार्वती बाई पत्नी रामनाथ माली निवासीगण थेगडा ठाकुर जी के मंदिर के पास ।
14. प्रदीप कुमार सुमन आत्मज देवीलाल सुमन जाति माली निवासी 56, वीरसावरकर नगर, कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. सुशीला देवी मेघानी पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति सिंधी निवासी 3 एम 12 महावीर नगर, कोटा ।
17. भावना मेघानी पत्नी श्री महेश कुमार मेघानी ।
18. खुशी मेघानी पत्नी श्री निरंजन मेघानी निवासी 3 एम 12/13 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री किशन अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा में साबिक खाता संख्या 23 व हाल खाता संख्या 24 पर में खसरा नम्बर 225 की 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के दादा एवं प्रतिवादी कम 1 से 5 के पिता व उनके भाई लक्खा, मोती पिसरान रामा जी 1/2 हिस्से से एवं भूरा बेटा उदा 1/2 हिस्से से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 225 की रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 224 की 01 बिस्वा कायम किये गये । इसके बाद पुनः सेटलमेंट में खसरा नम्बर 224 व 225 के नये खसरा नम्बर 278 की 05 बीघा 06 बिस्वा कायम किये गये । इसके बाद हुए सेटलमेंट में उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 04 किता की 0.88 हैक्टर कायम किये । संवत् 2016 में खसरा नम्बर 278 पर सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने वादिनी के दादा रामनारायण का नाम सहवन से हटा दिया और 1/2 हिस्से की भूमि पर लक्खा व मोती का नाम दर्ज कर दिया । वादग्रस्त आराजी में वादिनी के दादा व प्रतिवादी कम 1 से 5 के पिता जी का 1/4 हिस्सा है किन्तु वादिनी के दादा व प्रतिवादीगण के पिता रामनारायण जी का नाम प्रतिवादी कम 06 से 12 के पिता व प्रतिवादी कम 13 के पति रामनाथ जी ने हटा दिया और 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर अपने नाम दर्ज करवा लिया । वादिनी के पिता कन्हैया लाल जी वादिनी को 02 वर्ष की उम्र में प्रतिवादी कम 1 से 5 के पास छोड कर चले गये और 27 वर्ष से लापता हैं । उक्त भूमि संयुक्त व शामलाती थी जिस पर खातेदारान संयुक्त रूप से काश्त करते थे । वादिनी के पिता कन्हैया लाल जी ने अथवा रामनारायण जी ने अपने हिस्से की आराजी को कभी भी प्रतिवादी कम 06 से 13 को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को बेचान नहीं किया और भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं लिखा । वादिनी व प्रतिवादिनदी कम 1 से 5 उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार हैं । इस कारण उक्त भूमि में से प्रतिवादी कम 06 से 13 का नाम 1/2 से खारिज किया जाकर उनका नाम 1/4 हिस्से से तथा वादिनी अपना नाम प्रतिवादी कम 1 से 5 के नाम के साथ 1/4 हिस्से पर दर्ज कराने की अधिकारी हैं तथा 1/24 हिस्से पर दर्ज कराने की अधिकारी है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से रामनारायण के वारिस वादिनी व प्रतिवादी कम 1 से 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादिनी को 1/4 हिस्से में से 1/6 कुल भूमि का 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण कम 06 से 13 का नाम 1/2 हिस्से से हटाया जाकर 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी कम 06 से 8 का नाम व 1/24 हिस्से पर वादिनी का नाम व 5/24 हिस्से पर प्रतिवादी कम 01 से 5 का

नाम दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि के वादिनी को उसके हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें तथा वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 06 लगायत 14 एवं 16 व 17 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. प्रतिवादीगण कम 16, 17 व 18 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि लक्खा के वारिसान से कय की है जिससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है । रामनारायण बाल्यकाल में ही सुक्खा जी के यहॉ गोद चले गये थे और इस सम्बन्ध में इंतकाल नम्बर 189 दिनांक 04.05.1934 को खोला गया था जिसे रामनारायण जी ने कभी चुनौती नहीं दी । प्रारम्भ में वादिनी के पिता कन्हैया लाल एवं बालचन्द के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में लाखा गोविन्दीबाई व बालचन्द ने वादग्रस्त आराजी में दखलन्दाजी न करने का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें वादिनी के पिता व बालचन्द को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था । वादग्रस्त आराजी में वादिनी व उसके पिता का नाम नहीं रहा है और न ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 के द्वारा प्रतिवादीगण कम 16, 17 व 18 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में मात्र प्रतिवादी कम 16, 17 व 18 का ही जवाबदावा प्रस्तुत हुआ था तथा अन्य प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत होना था । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पेश करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है केवल वाद को खारिज करने का अधिकार न्यायालय को है । न्यायालय वाद में वर्णित कथनों के आधार पर अपने स्वविवेक से वाद खारिज कर सकता है किन्तु क्लर्क की रिपोर्ट पर दर्ज हो जाने के पश्चात् इस प्रकार वाद को खारिज नहीं किया जा सकता । प्रतिवादीगण कम 16 से 18 ने उक्त कथन अपने जवाबदावे में उल्लेखित कर दिये थे फिर भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण कम 16 से 18 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर दावा वादिनी खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था इस दावे में प्रतिवादीगण कम 16, 17 एवं 18 के द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया जाना था परन्तु प्रतिवादीगण कम 16, 17, 18 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया था ओर जो आपत्ति उन्होंने जवाबदावे में की थी उन्हीं आपत्तियों का समावेश इस प्रार्थना पत्र में किया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार कर दावे को खारिज किया है । प्रतिवादीगण की दावे को खारिज करने हेतु जो भी आपत्ति है उसके लिए उपयुक्त तनकी कायम कर दावे का निर्णय पारित किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में जवाबदावे एवं जवाबदावे के साथ पेश दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिस पर अपीलान्ट का शामलाती कब्जा है। निर्णय दिनांक 16.08.1985 लाखा, गोविन्दी बनाम बालचन्द, कन्हैयालाल के खिलाफ है उसमें लाखा का 1/6 हिस्सा है । वर्तमान दावे के पक्षकार पूर्व दावे में पक्षकार नहीं थे इस कारण इन पर यह निर्णय बाध्यकारी असर नहीं रखता है । शेष प्रतिवादीगण को नहीं सुना गया है । प्रतिवादीगण संख्या 16, 17, 18 दावे में पक्षकार नहीं थे परन्तु कय के आधार पर न्यायालय के द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया गया है । इंतकाल एक फिसकल प्रोसेडिंग होती है उसके आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं । नियमित दावे में जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । वादिनी के पिता 27 वर्षों से लापता है । लापता व्यक्ति को जीवित नहीं माना जा सकता इस आधार पर उत्तराधिकारी को दावा लाने का अधिकार प्राप्त होता है । इंतकाल संख्या 189 दिनांक 04.05.1934 कूटरचित है । बिना किसी आधार के खोला गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का हे इसमें धारा 151 शामिल नहीं की गई है । गोद के प्रश्न को तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2019 सीसीसी (2) पेज 610, आरबीजे 2018 पेज 78, आरबीजे 2018 पेज 376, डीएनजे 2016 (1) पेज 114, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 829, डीएनजे 1994 (राज0) पेज 162, डब्ल्यूएलसी 2012 (2) पेज 48, डीएनजे 2012 (2) पेज 806, 2003 (3) सीडीआर पेज 2237, 1990 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 47 आरआरटी 2011 (2) पेज 1395 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रामनारायण सन् 1934 से पूर्व गोद चले गये थे । इसी आधार पर सन् 1934 में इंतकाल खोला गया था और उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया था । इसके उपरान्त सन् 1985 को एक दावा लाखा एवं गोविन्दी के द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था जिसमें वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी इसमें रामनारायण का पुत्र बालचन्द एवं कन्हैया लाल प्रतिवादीगण थे जिनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी । प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के साथ धारा 151 सीपीसी के तहत भी सहायता मांगी गई है । यदि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता था तो धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत दावा खारिज किया जा सकता है

Frivolous दावे को अकारण चलाने का कोई औचित्य नहीं है । अधीनस्थ न्याालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.02.2018 बहाल रखा जावे । दौराने बहस उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर सीसीसी 2019 पेज 610 इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें जो आपत्ति दर्ज की गई है वो Mixed Question of facts and law नहीं है वरन् सन् 1934 में खोला गया नामान्तरकरण है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (1) पेज 01 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए विभाजन, हक घोषणा, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है कि वो कन्हैया लाल की पुत्री है कन्हैया लाल 27 वर्षों से लापता है । वादिनी के दादा रामनारायण का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित था जिनका नाम त्रुटिपूर्ण रूप से हटा दिया गया है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के द्वारा आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि रामनारायण बाल्यकाल में ही सुखा जी के यहॉ गोद चले गये और इस कम में नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 04.05.1934 को खोला गया है जिसे रामनारायण ने कभी भी चुनौती नहीं दी थी । इसके अलावा उनके द्वारा वादिनी के पिता कन्हैया लाल एवं बालचन्द के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में पारित निर्णय दिनांक 16.08.1985 के ओर भी ध्यान आकर्षित करवाया है और इन तथ्यों के आधार पर पेश प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दाव वादिनी खारिज किया है ।

12. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रतिवादी के जवाबदावे एवं उसके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जा सकता । दावे में अंकित तथ्य के आधार पर ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सकता है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस कम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डीएनजे 2017 (1) पेज 01 उद्धरत किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वादपत्र सख्ती से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत नहीं आता है तो धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है तुच्छ एवं परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिए । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डीएनजे 2005 (एससी) पेज 362 का भी रेफरेन्स दिया गया है ।

13. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने इसके खिलाफ सीसीसी 2019 (2) पेज 610 उद्धरत किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि प्रतिवादी की डिफेन्स को आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना का निस्तारण करते समय कन्सीडर नहीं किया जा सकता । प्रार्थना पत्र में जो आपत्तियॉ ली गई हैं वो तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिन्हें बिना तनकी कायम किये निर्णित नहीं किया जा सकता । साथ ही विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रकिया होती है जिसके आधार पर पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय नहीं किये जा सकते । इस कम में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नामान्तरकरण संख्या 189 की प्रति का अवलोकन किया ।

यह नामान्तरकरण दिनांक 04.05.1934 को खोला गया है जिसके अनुसार रामनारायण के सुखा के यहॉ गोद जाने के आधार पर उनका नाम खाते से खारिज किया गया है । यह नामान्तरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व सन् 1934 में खोला गया, है जो कोटा सरकूलर के प्रावधानों के अनुसार खोला गया है । कोटा सरकूलर के अनुसार नामान्तरकरण फिसकल प्रकिया नहीं होती है । इस प्रकार एन् 1934 में ही वादिनी के दादा का वादग्रस्त आराजी से नाम हटाया गया है ।

14. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर सीपीसी 2019 (2) पेज 610 यहॉ चस्पा नहीं होता है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 04.05.1934 के अनुसार रिकॉर्ड से यह प्रमाणित है कि वादिनी के दादा का नाम सन् 1934 में राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है। प्रार्थना. पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 में जो आपत्तियॉ ली गई हैं वो विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न नहीं है ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी ने दावे में यह कथन किया है कि उनके पिता 27 वर्षों से लापता हैं और अपील में यह कथन किया है कि 07 वर्ष से लापता व्यक्ति को जीवित नहीं माना जा सकता परन्तु इसके समर्थन में सिविल न्यायालय का कोई निर्णय दावे के साथ पेश नहीं किया है । राजस्व न्यायालय को 07 वर्ष से अधिक समय से लापता व्यक्ति को जीवित नहीं माने जाने बाबत् निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को है । पत्रावली पर संलग्न रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 04.05.1934 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व ही वादिनी के दादा का नाम वादग्रस्त आराजी से खारिज किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में वादिनी के द्वारा पेश किया गया यह दावा आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत डीएनजे 2017 (1) पेज 01 की रोशनी में चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादिनी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/173

पिंकी सुमन पत्नी बृजमोहन पुत्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी देहित जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज स्व0 श्री रामनारायण जाति माली निवासी झालावाड हाल ग्राम मोहनपुरा सरकारी डिसपेन्सरी के पास तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. सुशीला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री चौथमल जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कमला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री भोलाशंकर जाति माली निवासी 1 प 12 टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा ।
4. मुन्नी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी आनन्द लाल निवासी के0 पाटन जिला बून्दी जरिये मुख्तारआम हरिमोहन आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी थेगडा कोटा हाल के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. हरि मोहन आत्मज रामनारायण माली निवासी थेगडा हाल गिरधरपुरा सती माता का मंदिर
6. हेमराज आत्मज रामनाथ माली ।
7. रूपचन्द आत्मज रामनाथ माली ।
8. नरेश चन्द आत्मज रामनाथ माली ।
9. चन्दा बाई पुत्री रामनाथ माली ।
10. कान्ती बाई पुत्री रामनाथ माली
11. शान्ति बाई पुत्री रामनाथ माली ।
12. प्रेमबाई पुत्री रामनाथ माली ।
13. पार्वती बाई पत्नी रामनाथ माली निवासीगण थेगडा ठाकुर जी के मंदिर के पास ।
14. प्रदीप कुमार सुमन आत्मज देवीलाल सुमन जाति माली निवासी 56, वीरसावरकर नगर, कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. सुशीला देवी मेघानी पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति सिंधी निवासी 3 एम 12 महावीर नगर, कोटा ।
17. भावना मेघानी पत्नी श्री महेश कुमार मेघानी ।
18. खुशी मेघानी पत्नी श्री निरंजन मेघानी निवासी 3 एम 12/13 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।

---प्रत्यर्थी

जगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला कोटा ।

वाद संख्याः 148/दावा/2013

पिंकी सुमन पत्नी बृजमोहन पुत्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी देहित जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज स्व0 श्री रामनारायण जाति माली निवासी झालावाड हाल ग्राम मोहनपुरा सरकारी डिसपेन्सरी के पास तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. सुशीला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री चौथमल जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कमला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी श्री भोलाशंकर जाति माली निवासी 1 प 12 टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा ।
4. मुन्नी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी आनन्द लाल निवासी के0 पाटन जिला बून्दी जरिये मुख्तारआम हरिमोहन आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी थेगडा कोटा हाल के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. हरि मोहन आत्मज रामनारायण माली निवासी थेगडा हाल गिरधरपुरा सती माता का मंदिर
6. हेमराज आत्मज रामनाथ माली ।
7. रूपचन्द आत्मज रामनाथ माली ।
8. नरेश चन्द आत्मज रामनाथ माली ।
9. चन्दा बाई पुत्री रामनाथ माली ।
10. कान्ती बाई पुत्री रामनाथ माली
11. शान्ति बाई पुत्री रामनाथ माली ।
12. प्रेमबाई पुत्री रामनाथ माली ।
13. पार्वती बाई पत्नी रामनाथ माली निवासीगण थेगडा ठाकुर जी के मंदिर के पास ।
14. प्रदीप कुमार सुमन आत्मज देवीलाल सुमन जाति माली निवासी 56, वीरसावरकर नगर, कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. सुशीला देवी मेघानी पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति सिंधी निवासी 3 एम 12 महावीर नगर, कोटा ।
17. भावना मेघानी पत्नी श्री महेश कुमार मेघानी ।
18. खुशी मेघानी पत्नी श्री निरंजन मेघानी निवासी 3 एम 12/13 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.01.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री किशन अग्रवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

24/1/2020

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा